प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 99/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत 31 अक्टूबर 2019 तक अपने मोबाइल नंबर पोर्ट करने के अंतिम अवसर के संबंध में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मुंबई, पूर्वोत्तर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और पश्चिम बंगाल के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में मेसर्स डिशनेट वायरलेस लि. और मेसर्स एयरसेल लि. के उपभोक्ताओं के लिए सूचना।

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2019 – मेसर्स एयरसेल लिमिटेड और मैसर्स डिशनेट वायरलेस लिमिटेड ने (दोनों को संयुक्त रूप से मैसर्स एयरसेल समूह कहा गया है), 22 फरवरी, 2018 के अपने पत्र के माध्यम से प्राधिकरण से अन्य बातों के साथ–साथ लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों, जिनमें उनके उपभोक्ताओं की संख्या एक मिलियन से अधिक है, में यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) जनरेट करने के लिए अतिरक्त कोड आवंटित करने के लिए उपयुक्त निदेश जारी करने; उन उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की अनुमति देने, जहां मेसर्स एयरसेल ग्रुप के नेटवर्क में एक्टीवेशन की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि समाप्त नहीं हुई है और सुचारू पोर्टिंग को सक्षम बनाने लिए यूपीसी की वैधता को अधिकतम पैंतालीस दिनों तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।

2. मेसर्स एयरसेल समूह के अनुरोध के दृष्टिगत और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मुंबई, पूर्वोत्तर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और पश्चिम बंगाल के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में मेसर्स एयरसेल समूह के उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को सुगम बनाने के लिए, भादूविप्रा ने 27 फरवरी, 2018 को यूपीसी जनरेट करने के लिए अतिरिक्त कोड आवंटित करने का निदेश जारी किया है।

3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेसर्स एयरसेल समूह के उपभोक्ता अपनी पसंद के सेवा प्रदाता के पास अपने मौजूदा मोबाइल नंबरों को पोर्ट करने में सक्षम हों और उपर्युक्त लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में इसकी सेवाओं को बंद करने के बाद निर्बाध मोबाइल सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहें, भादूविप्रा ने 17 अप्रैल 2018 के अपने निदेश में मेसर्स एयरसेल समूह को 27 फरवरी, 2018 से पिछले निदेश के अनुसरण में जनरेट किए गए सभी यूपीसी की वैधता को बढ़ाने और उक्त निदेश की तारीख से पहले जनरेट किए गए यूपीसी, जो उक्त तारीख तक वैध थे, को अगले निदेश/आदेश तक के लिए वैध मानने का निदेश दिया था। 27 फरवरी 2018 (निदेश जारी करने की तारीख) 31 अगस्त 2019 तक मेसर्स एयरसेल समूह के लगभग 19 मिलियन उपभोक्ताओं ने पोर्ट–आउट सुविधा का लाभ उठाया है।

4. भादूविप्रा ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) के लिए 13 दिसंबर 2018 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 09) जारी किया है, जिसमें मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल किए गए हैं और ये 11 नवंबर 2019 से लागू होंगे।

5. दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 09) जारी करने के बाद, भादूविप्रा ने संशोधन एमएनपी प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु गठित समिति के लिए मेसर्स एयरसेल समूह सहित सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से 21 दिसंबर 2018 को नामांकन मांगे थे और भादूविप्रा के अनुरोध के जवाब में, मेसर्स एयरसेल समूह ने बताया कि चूंकि वे अब किसी भी सर्कल में काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें वर्तमान कार्यान्वयन गतिविधियों से छूट प्रदान की जाए।

6. लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, मोबाइल उपभोक्ताओं के हित में बिना किसी चूक के संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए जरूरी प्रावधान करना मेसर्स एयरसेल समूह सहित सभी लाइसेंसधारियों के लिए अनिवार्य है। तदनुसार, भादूविप्रा ने 23 अप्रैल 2019 को एक पत्र जारी किया जिसमें मेसर्स एयरसेल समूह को सलाह दी गई कि जब कभी भी वो भविष्य में लाइसेंस के तहत सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लें, संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए दोनों मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करें।

7. इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, मेसर्स एयरसेल ग्रुप के उपभोक्ताओं, जो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मुंबई, पूर्वोत्तर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और पश्चिम बंगाल के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराना चाहते हैं, को 31 अक्टूबर 2019 को या उससे पहले अपने पोर्टिंग अनुरोध को प्रस्तुत करके अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट कराने के मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ उठाने के लिए अंतिम अवसर दिया जाता है। उक्त तिथि के बाद, दिया गया यूपीसी, यदि कोई है, पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अमान्य हो जाएगा।

8. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम व लाइसेंसिंग) से टेलीफोन नंबर +91–11–23210481, फैक्स नंबर +91+11–23232677 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।</u>